2 उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएँ
(Uttar Pradesh Government Schemes)

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों के लिये नि:शुल्क कोचिंग योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना यूपीएससी, पीएसी, जेईई, एनईईटी और अन्य परीक्षा उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करेगी।
- योजना के अंतर्गत राज्य सरकार पात्रता के आधार पर विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान करेगी ताकि वे डिजिटल शिक्षा के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता या अभिभावक को खोने वाले अनाथ बच्चों के लालन-पालन के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया गया।
- योजना हेतु 0-18 आयु वर्ग के लिये वे सभी बच्चे जिनके माता तथा पिता की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण के कारण हो गई हो, इसके पात्र हैं।
- बाल देख-रेख संस्थाओं में आवासित 0-18 आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल हेतु ₹ 4000 प्रतिमाह दिये जाएंगे। प्रदेश सरकार सभी बालिकाओं के विवाह हेतु ₹ 1,01,000 की राशि उपलब्ध कराएगी।

उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बीपीएल परिवारों, जिनकी आय ₹ 2 लाख से कम है, की बालिकाओं हेतु उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना प्रारंभ की है।
- योजना के तहत बेटी के जन्म होने पर उसके खाते में ₹ 50,000 तथा बेटी की माँ को ₹ 5100 की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
- इसके अतिरिक्त बेटी के कक्षा 6 में पहुँचने पर ₹ 3000, कक्षा 8 में पहुँचने पर ₹ 5000, कक्षा 10 में पहुँचने पर ₹ 7000 तथा कक्षा 12 में पहुँचने पर ₹ 8000 दिये जाएंगे। योजना के अंतर्गत एक परिवार की दो बेटियों को ही यह आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2020-21 में ₹ 12000 करोड़ का प्रावधान किया गया।
- इस योजना में बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि के साथ बालिकाओं की भ्रूण हत्या को रोकने का उद्देश्य शामिल किया गया। यह योजना 1 अप्रैल, 2019 से संचालित की जा रही है।

मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना

- महिलाओं एवं बच्चों के कुपोषण की समस्या को दूर करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना आरंभ की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिह्नित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11-14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। इस योजना हेतु ₹ 100 करोड़ की राशि बजट में प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना

- ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि एवं संवर्द्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से महिला सामर्थ्य योजना क्रियान्वित की जाएगी।
- योजना के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य में महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स (SAG)

- **आरंभ**- 21 फरवरी, 2019
- **उम्र**- 11-14 वर्ष
- **उद्देश्य**- उचित पोषण एवं विशेष देखभाल
- **किशोरी दिवस**- प्रत्येक माह की 8 तारीख़

विश्वकर्मा श्रम सम्मान निधि योजना

- **आरंभ**- 24 जनवरी, 2019
- **उद्देश्य**- प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय दस्तकारों तथा पारंपरिक कारीगरों के विकास हेतु
- **योजना के घटक**-
  - कौशल वृद्धि प्रशिक्षण
  - टूलकिट वितरण
  - मार्जिन मनी ऋण

खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र परियोजना

- आरंभ- 9 मार्च, 2019 (ग्रेटर नोएडा से डिजिटल माध्यम द्वारा)
- स्थित- बुलंदशहर
- लागत राशि- ₹ 12,676 करोड़